

2021/11

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेंट

श्री दिदारखां पुत्र श्री चांदखांजी
जाति मुसलमान
निवासी झंवर तहसील लूणी
जिला जोधपुर।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार सिरौही

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 01 वर्ष 2021

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
27.01.2021	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेंट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरौही को दिनांक 29.08.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत जावाल, पटवार हल्का जावाल में सरकारी जमीन पर दर्ज दरगाह, ईदगाह, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान नाम से दर्ज राजस्व विभाग में खसरा नं. सहित जमीनी रिकार्ड से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरौही को दिनांक 29.08.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत जावाल, पटवार हल्का जावाल में सरकारी जमीन पर दर्ज दरगाह, ईदगाह, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान नाम से दर्ज राजस्व विभाग में खसरा नं. सहित जमीनी रिकार्ड से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरौही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसिफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(भगवती प्रसाद)

जिला कलक्टर, सिरौही

